From,

District Judge,

Sitapur.

To,

The Registrar General,

Hon'ble High Court of Judicature at

Allahabad.

No. 1399 /2021 Dated: 26.04.2021

Subject: Intimation of closing of Outlying Court Civil Judge (J.D.), Biswan, Sitapur Judgeship for 48 hours for sanitization.

Sir,

I have the honour to submit that in compliance of Hon'ble High Court's letter no. 1945/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/ Dated: 22 April, 2021, as per the report dated 26.04.2021 (annexed herewith) of the Officer-in-charge, General Administration/A.D.J., Court No. 01, Sitapur, Sri Madan Mohan Saxena, Advocate, Bar Association Biswan, Sitapur has died due to COVID-19 and suggested sanitization and complete cleanliness of entire court campus. Therefore, outlying court Civil Judge (J.D.), Biswan, Sitapur has been closed on 27.04.2021 and 28.04.2021 for sanitization of the court campus.

It is therefore, requested that this letter may kindly be placed before the Hon'ble Court for kind intimation.

With regards.

Yours faithfully,

Encl.: As above.

I/C District Judge,

Sitapur.

प्रेषक,

प्रभारी,
प्रभारी अधिकारी प्रशासन/
अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट सं0–1,
सीतापुर।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
सीतापुर।

पत्रांक संख्या– /2021 दिनांकित 26.04.2021

महोदय,

कोरोना वायरस Novel Corona virus (Covid-19) के संक्रमण से बचाव व राहत के सम्बंध में आज दिनांक 26.04.2021 को प्रशासनिक कार्यालय जनपद न्यायालय सीतापुर को प्रभारी सिविल जज (जू0डि0) बिसवॉ द्वारा बिसवॉ लायर्स एसोसियेशन बिसवॉ,सीतापुर के प्रस्ताव की प्रति के साथ अपनी रिपोर्ट इस आशय से प्रेषित की है कि बाह्य न्यायालय बिसवॉ, सीतापुर के अधिवक्ता श्री मदन मोहन सक्सेना की असमय कोरोना से मृत्यु हो गई है और एसोसियेशन द्वारा 26.04.2021 से 05.05.2021 तक तालाबन्दी हेतु आग्रह किया है।

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं0 1945/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated:22 April 2021 के पैरा 15 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गई है कि "Where the District Administration/CMO concerned is of the opinion that the District/Outlying Court Campus should be closed for a particular period and/or the District Judge/Principle Judge,Family Court,Presiding officer, Commercial Court/Land Aqui, Rehab & Resettlement Authority/Motor Accident Claims Tribunals concern is of the openion that the concern Court/Court Campus should be closed for the particular period,then such court/court campus may be closed for the said period and an intimation mentioning the specific reasons may be sent to Allahabad High Court."

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में संक्रमण की रोकथाम के लिये बाह्य न्यायालय परिसर स्थित बिसवॉ, बार एसोसिएशन तथा परिसर में स्थित समस्त भवनों का वृहद सेनिटाइजेशन कराने की आवश्यकता है, जो कि बिना न्यायालय बन्द किये व्यवहारिक रूप से सम्भव नहीं है।

अतः यह मत है कि कोविड–19 के बढ़ते प्रसार को रोकने हेतु दिनांक **27.04.2021 एवं 28.04.2021 (48 घण्टे)** के लिये न्यायालय न्यायिक/कार्यालय कार्य हेतु बन्द कराते हुये वृहद सेनिटाइजेशन कराया जाय तथा उक्त अवधि में माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 1945/LXXXVII-CPC/e-Courts/ Allahabad /Dated: 22 April 2021 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

उक्त परिस्थितियों के आलोक में यदि श्रीमान जी चाहें तो उक्त विहित अवधि के लिये न्यायालय को न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यों के लिये बन्द किया जा सकता है।

आख्या माननीय महोदय की सेवा में प्रेषित।

सादर।

दिनांक–26.04.2021

Approved
26/4/2021

भवदीय,

प्रभारी,
प्रभारी अधिकारी प्रशासन/
अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट सं0–1,
सीतापुर।

प्रशासनिक आदेश संख्या– 170 / 2021 **दिनांक –26 / 04 / 2021**

प्रभारी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–01, सीतापुर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांकित 26.04.2021 द्वारा यह संज्ञान में लाया गया है कि वाह्य न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) बिसवां, सीतापुर के अधिवक्ता श्री मदन मोहन सक्सेना की असमय कोरोना से मृत्यु हो गई है तथा यह अनुरोध किया गया है कि वाह्य न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) बिसवां, सीतापुर के परिसर को साफ–सुथरा तथा पूर्ण रूप से सैनिटाइजेशन कराने के उद्देश्य से कोविड–19 की गाइड लाइन के अनुसार कोविड–19 के बढ़ते प्रसार को रोकने हेतु दिनांक **27.04.2021 एवं 28.04.2021 (48 घण्टे)** को वाह्य न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) बिसवां सीतापुर को बन्द कराते हुये वृहद सैनिटाइजेशन कराया जाये।

प्रभारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–01, सीतापुर की उपरोक्त आख्या को दृष्टिगत रखते हुये तथा आख्या को अनुमोदित करते हुये निम्न आदेश पारित किया जाता है–

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या 1945/LXXXVII-CPC/eCourts/Allahabad: Dated- 22 April, 2021 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये वाह्य न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) बिसवां, सीतापुर के परिसर को दिनांक **27.04.2021 एवं 28.04.2021 (48 घण्टे)** के लिए वृहद सैनिटाइजेशन हेतु बन्द किया जाता है एवं सैनिटाइजेशन के पश्चात् न्यायालय दिनांक 30.04.2021 को पूर्ववत् खुलेगी।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या 1945/LXXXVII-CPC/eCourts/Allahabad: Dated- 22 April, 2021 में वर्णित निर्देशों के अनुपालन में उपजिला अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी एवं नगर पालिका, सीतापुर दिनांक 27.04.2021 एवं 28.04.2021 को वाह्य न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) बिसवां, सीतापुर परिसर के न्यायालय/ कार्यालय/ अनुभाग/ परिसर/ भवन/ बार एसोसिऐशन/ आवासीय परिसर को सम्पूर्ण रूप से सैनिटाइज कराना सुनिश्चित करें एवं सम्पूर्ण न्यायालय की साफ–सफाई भी कराना सुनिश्चित करें। नाजिर, वाह्य न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) बिसवां, सीतापुर को निर्देशित किया जाता है कि वह सैनिटाइजेशन के कार्य में उपरोक्त की आवश्यक सहायता करें।

दिनांक 27.04.2021 एवं 28.04.2021 को न्यायालय में नियत आवश्यक न्यायिक कार्य अगले कार्य दिवस दिनांक 30.04.2021 को सुनवाई हेतु प्रस्तुत होंगे। इसी सम्बन्ध में उपरोक्त तिथि को नियत वादों हेतु निम्न सामान्य अग्रिम तिथि नियत की जाती है साथ ही इस सम्बन्ध में यह भी आदेश दिया जाता है कि जिन वादों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वाद के शीघ्र निस्तारण हेतु कोई आदेश प्राप्त है उन वादों में न्यायालयों द्वारा सामान्य तिथि नियत नहीं की जायेगी। ऐसे मामलों में न्यायिक अधिकारी अपनी डायरी के मुताबिक तिथियों को नियत कर सकते हैं।

नियत तिथि	वाह्य न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) बिसवां, सीतापुर हेतु सामान्य अग्रिम तिथि
27.04.2021	27.05.2021
28.04.2021	28.05.2021

आदेश की एक प्रति सिस्टम आफीसर, केन्द्रीय कम्प्यूटर कक्ष, जनपद न्यायालय, सीतापुर को उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये।

सर्व सम्बन्धित सूचित हो।

ह0 जनपद न्यायाधीश,
सीतापुर।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस अधीक्षक, सीतापुर।
2 उपजिला अधिकारी, बिसवां, सीतापुर।
3– चिकित्सा अधिकारी, बिस्वां, सीतापुर।
4– मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सीतापुर।
5– अध्यक्ष / सचिव, बिसवां बार एसोसिएशन, सीतापुर।
6– जेल अधीक्षक, जिला कारागार, सीतापुर।
7– अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बिसवां, सीतापुर।
8– जिला सूचना अधिकारी, सीतापुर।
9– सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीतापुर।

ह0 जनपद न्यायाधीश,
सीतापुर।